हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय
न्यू सेन्ट्रल होप टाउन, बायॉखाला, शीशमबाडा देहरादून,
पिन– 248011 उत्तराखण्ड, भारत
वेवसाईट:www.hnbumu.ac.in

नीट यू0जी0, 2024 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के तृतीय चरण हेतु महत्वपूर्ण निर्देश एवं नियम व शर्तें

1. तृतीय चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता

नीट यू0जी0 2024 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग की तृतीय चरण काउन्सिलिंग में निम्न अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैः–

1. प्रथम चरण/द्वितीय चरण में पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में कोई भी सीट आवंटित नही हुयी हो।
2. ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होने बोर्ड द्वारा प्रथम चरण/द्वितीय चरण में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश ले लिया हो और तृतीय चरण में सीट अपग्रेडेशन हेतु प्रतिभाग कराना चाहते हो।
3. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने बोर्ड द्वारा प्रथम चरण/द्वितीय चरण में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश न लिया हो और तृतीय चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो, उन्हे धरोहर राशि पुनः जमा करनी होगी।
4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण न कराया हो और तृतीय चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हों।

विशेष– यदि प्रथम/द्वितीय चरण में पंजीकृत हुये अभ्यर्थी तृतीय चरण काउन्सिलिंग की प्रक्रिया में अब सम्मिलित होने के इच्छुक न हों अथवा अपनी पूर्व प्रवेशित सीट से सन्तुष्ट हों तो उन्हे यह सलाह दी जाती है कि वे तृतीय चरण की काउन्सिलिंग हेतु पुनः पंजीकरण/Choice Filling न करें, जिससे इस सीट को किसी अन्य अर्ह इच्छुक अभ्यर्थी को मेरिट के क्रम में नियमानुसार आवंटित किया जा सके।

2. तृतीय चरण में प्रतिभाग करने हेतु निम्न छात्र अर्ह नही होगेः–

जिन अभ्यर्थियों द्वारा एम0सी0सी0 भारत सरकार द्वारा आयोजित तृतीय चरण तक की काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपना प्रवेश सुरक्षित करा लिया गया है।

3. आवेदन प्रक्रिया (केवल ऑन–लाईन आधार पर)

1. तृतीय चरण की काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर धनराशि **केवल आन–लाईन प्रणाली** (Credit/Debit Card/Net banking) के माध्यम से ही जमा की जायेगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व के काउन्सिलिंग चरणो मे पंजीकरण करवाया जा चुका है भी तृतीय काउन्सिलिंग चरण में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो जमा की गई है, यदि वो तृतीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कराना चाहते हैं तो उन्हे विश्वविद्यालय की वैबसाईट www.hnbumu.ac.in पर जाकर पंजीकृत आई–डी के माध्यम से आन–लाईन आवेदन कर नवीन च्वाईस फिलिंग करनी अनिवार्य होगी, ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि जमा नही करनी होगी।
3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में धरोहर राशि जमा की गई हो तथा वे यदि पूर्व में चयनित किये गये कोटे (स्टेट कोटा/ऑल इण्डिया–मैनेजमैन्ट कोटा) के विकल्प में परिवर्तन करते हुये तृतीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हो, तो इस हेतु उन्हे विश्वविद्यालय की

वैबसाईट www.hnbumu.ac.in पर जाकर स्वंय को तृतीय चरण काउन्सिलिंग हेतु नवीन कोटे के विकल्प का आन–लाईन आवेदन फार्म भरते हुये चयन करना होगा। तद्पश्चात वे आन–लाईन आवेदन फार्म भर, वाछित सूचना भर कर नवीन च्वाईस फिलींग करते हुये तृतीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है। ऐसी दशा में यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा की गयी धरोहर राशि ज्यादा है तो उन्हे कोई अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा नही करनी होगी, परन्तु यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा की गयी धरोहर राशि कम (न्यून) है तो उन्हे उस चयनित कोटे हेतु निर्धारित सम्पूर्ण धरोहर धनराशि को दोबारा जमा करना होगा। इस दशा में अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त (पूर्व में जमा) जमा की गयी धरोहर राशि समस्त चरणो की काउन्सिलिंग प्रक्रिया के समाप्त होने के एक माह पश्चात अभ्यर्थी द्वारा आन–लाईन आवेदन फार्म मे भरे गये बैंक खाते में विश्वविद्यालय द्वारा ऑन–लाईन आधार पर वापस की जायेगी।

4. तृतीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्धारित समयावधि में **पंजीकरण करने के उपरान्त आन–लाईन आवेदन फार्म को भरते हुये समस्त वाछित सूचना भर कर नवीन च्वाईस फिंलीग (New Choice lock) करना अनिवार्य होगा।** अन्यथा की दशा में वे तृतीय चरण काउन्सिलिंग में काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन हेतु अर्ह नही माने जायेगें। पूर्व के चरणों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाईस फिंलीग स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। अतः तृतीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे तृतीय चरण हेतु निर्धारित समयावधि में उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया को अनिवार्य रुप से पूर्ण कर लेवें।
5. यदि कोई इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी आन–लाईन आवेदन प्रपत्र में भरी गयी किसी सूचना तथा तृतीय चरण हेतु भरी गयी च्वाईस फीलिग में कोई भी परिवर्तन (संशोधन) करना चाहता है, तो अभ्यर्थी को तृतीय काउन्सिलिंग चरण हेतु पंजीकरण की निर्धारित तिथियो के दौरान ही, संशोधन हेतु रुपया–**500/–(रुपया पाच सौ)** Online माध्यम से संशोधन पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का संशोधन (केवल च्वाईस फिलिग एवं अभिलेख अपलोड) करने हेतु, अभ्यर्थी को प्रत्येक बार रुपया 500/– (रुपया पाच सौ) देकर पंजीकरण की निर्धारित तिथियो के दौरान ही पूर्ण रुप से भरना होगा। प्रत्येक संशोधन के पश्चात पूर्व में किया गया आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। **अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार के संशोधन के लिये आवेदन ई–मेल/दूरभाष के माध्यम से स्वीकार नही किया जायेगा।**
6. *अभ्यर्थी आन–लाईन आवेदन प्रपत्र में भरी गयी किसी सूचना, भरी गयी च्वाईस (विकल्प) को **विलम्बतम दिनांक 15.10.2024 अपरान्ह 02:00 बजे तक ही** उपरोक्तानुसार परिवर्तित (edit) कर सकते है।*
7. **अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण रुप से आवेदन फॉर्म भरने के उपरान्त उसका प्रिन्ट आउट निकाल कर अपने पास अनिवार्य रुप से सुरक्षित रखना होगा। भविष्य मे आवेदन के सन्दर्भ में किसी भी पृच्छा/जानकारी अथवा प्रकरण का निस्तारण इस आवेदन फॉर्म के प्रिन्ट आउट के आधार पर ही काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा।**
8. अभ्यर्थी द्वारा ऑन–लाईन आवेदन फॉर्म में च्वाईस भरने के उपरान्त उन्हे सर्वप्रथम SAVE किया जाना होगा। यदि अभ्यर्थी चाहें तो काउन्सिलिंग समय सारणी द्वारा पंजीकरण हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उसमें परिवर्तन कर सकता है। तद्पश्चात अभ्यर्थी को इन SAVE की गयी च्वाईस को LOCK किया जाना होगा। परन्तु च्वाईस LOCK करने के उपरान्त अभ्यर्थी इनमे केवल निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत संशोधन शुल्क जमा (बिन्दु 05 के अनुसार) करने के उपरान्त ही परिवर्तन कर सकता है।
9. यदि ऑन–लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिंलिग को SAVE करने के उपरान्त LOCK नही किया जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाईस को ऑन–लाईन प्रणाली द्वारा निर्धारित समयावधि उपरान्त स्वतः ही LOCK कर दिया जायेगा तथा यह माना/समझा जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सीट आवंटन हेतु यही च्वाईस भरी गयी है। परन्तु यदि ऑन–लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिंलिग को SAVE भी नही किया जाता है, तो अभ्यर्थी को तृतीय चरण सीट आवंटन हेतु अर्ह नही माना जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अपनी भरी गयी च्वाईस को SAVE तथा LOCK कर लेवें।
10. अभ्यर्थी ऑन–लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय चयनित कोटे (राज्य कोटा/ऑल इण्डिया–मैनेजमेन्ट कोटा) के आधार पर चयन हेतु उपलब्ध समस्त सीटो में से अपनी च्वाईस के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में जितनी भी चाहे सीटो का विकल्प चयन कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स मे दर्शायी गयी उपलब्ध

संबंधित श्रेणी/उपश्रेणी की सीटों की संख्या में संबंधित श्रेणी/उपश्रेणी मे इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में नियमानुसार सीट परिवर्तन (conversion) इत्यादि कारणो के फलस्वरुप परिवर्तन हो सकता है। अतः अभ्यर्थियों को पुनः सलाह दी जाती है कि वे आन–लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय चयनित कोटे (राज्य कोटा/ऑल इण्डिया–मैनेजमेन्ट कोटा) के आधार पर चयन हेतु उपलब्ध समस्त सीटो में से अपनी च्वाईस के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में जितनी भी चाहे सीटो का विकल्प चयन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों हेतु काउन्सिलिंग में सम्मिलित प्रत्येक संस्थान का संबंधित कॉलेज द्वारा उपलब्ध विस्तृत शुल्क विवरण विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है। **अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सीटों का विकल्प चयन करने से पूर्व संबंधित कॉलेज के शुल्क, बॉण्ड संबंधी नियम, सीटों की मान्यता की स्थिति आदि के बारे में संबंधित संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। छात्र द्वारा चयन किये संस्थान/ सीट/पाठ्यक्रम के विकल्प हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा, विश्वविद्यालय/काउन्सिलिंग बोर्ड का कोई भी उत्तरदायित्व नही होगा।**

11. तृतीय चरण में काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन उपरोक्तानुसार निर्धारित नियम/प्रक्रियानुसार पंजीकृत हुये अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट, अर्हता एवं भरी गयी च्वाईस (विकल्प) के आधार पर किया जायेगा।

4. संस्थानवार सीट मैट्रिक्स

1. संस्थानवार सीटों का कोटेवार (राज्य कोटा तथा ऑल–इण्डिया–मैनेजमेन्ट कोटा) सीट मैट्रिक्स विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर उपलब्ध है। सीट मैट्रिक्स को प्रवेशित छात्र–छात्राओ द्वारा सीट छोडे जाने के फलस्वरुप समय–समय पर अपडेट किया जाता रहेगा।
2. तृतीय चरण की काउंसिलिंग में संस्थानवार सीटों को विवरणिका में दिये गये नियमानुसार परिवर्तित किया जायेगा, इसके आधार पर ही अंतिम आवंटन प्रकाशित किया जायेगा।

5. शुल्क विवरण

काउन्सिलिंग में सम्मिलित प्रत्येक संस्थान का संबंधित कॉलेज द्वारा उपलब्ध विस्तृत शुल्क विवरण विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है।

6. सीट अपग्रेडशन

1. प्रथम/द्वितीय चरण में प्रवेशित छात्र (जिसके द्वारा बोर्ड द्वारा आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश ले लिया गया है) को तृतीय चरण में नियमानुसार सीट अपग्रेडेशन का अधिकार होगा।
2. ऐसे अभ्यर्थियों का तृतीय चरण की काउन्सिलिंग में सीट अपग्रेडेशन **न होने** की दशा में पूर्व प्रवेशित सीट पर प्रवेश सुरक्षित रहेगा। **परन्तु ऐसी दशा में अभ्यर्थी को प्रथम/द्वितीय चरण में प्रवेशित सीट को छोड़ने का अधिकार नहीं होगा।**
3. तृतीय चरण की काउन्सिलिंग में सीट अपग्रेडेशन **होने** की दशा में अभ्यर्थी का पूर्व प्रवेशित सीट पर कोई अधिकार नही रहेगा, प्रत्येक दशा में यह सीट रिक्त करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण में प्रवेशित छोडी गयी (अपग्रेडेशन के कारण) इस रिक्त हुयी सीट को वरीयता सूची के क्रम में अगले अर्ह इच्छुक अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा नियमानुसार आवंटित कर दिया जायेगा। **अतः अभ्यर्थियो को यह सलाह दी जाती है कि वे अपग्रेडेशन का विकल्प भरते समय यह अवश्य ध्यान रखे कि वे उन्ही पाठ्यक्रम/सीट/संस्थान का ही विकल्प चयन करें जिसमें वे अपग्रेडेशन चाहते हो और प्रवेश लेने के इच्छुक है।**

7. प्रवेशित सीट को छोडने (Seat Surrender/Withdrawn/Vacate) संबंधी नियम

1. नीट यू0जी0 2024 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के प्रथम/द्वितीय चरण के माध्यम से विभिन्न संस्थानों में प्रवेशित छात्र–छात्राओं को विलम्बतम दिनांक 14.10.2024 सायं 05:00 बजे तक (केवल निर्धारित प्रक्रियानुसार ही) धरोहर राशि जब्त कराते हुये सीट छोड़ने (Seat Surrender/Withdrawn/Vacate) की अनुमति होगी। **सीट छोड़ने (Seat Surrender/Withdrawn/Vacate) हेतु निर्धारित प्रक्रिया संबंधी सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर उपलब्ध है।**
2. उक्त तिथि व समय के उपरान्त किसी भी प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि यदि वे अपनी प्रथम/द्वितीय चरण में प्रवेशित सीट को छोड़ना चाहते हैं तो उसे निर्धारित तिथि विलम्बतम दिनांक 14.10.2024 सायं 05:00 बजे तक छोड़ देवें।
3. दिनांक 14.10.2024 सायं 05:00 बजे **के उपरान्त प्रथम/द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग से प्रवेशित छात्र–छात्राओं को किसी भी दशा में सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।**
4. तृतीय चरण में बोर्ड द्वारा आवटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि को भारत सरकार/एन0एम0सी/एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित मानकानुसार हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार जब्त (forfiet) कर लिया जायेगा। ऐसे छात्र नियमानुसार नवीन पंजीकरण तथा धरोहर धनराशि जमा कर आगामी काउन्सिलिंग चरणों (यदि कोई हो) में प्रतिभाग कर सकते हैं।
5. तृतीय चरण में आवंटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश ले लेता है तो उसे प्रवेशित सीट को छोडने की अनुमति नही होगी। ऐसी दशा में भारत सरकार/एन0एम0सी/एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित मानकानुसार हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, द्वारा नियमानुसार जब्त (forfiet) कर लिया जायेगा।
6. अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सीटों का विकल्प चयन करने से पूर्व संबंधित कॉलेज के शुल्क, बॉण्ड संबंधी नियम, सीटों की मान्यता की स्थिति आदि के बारे में संबंधित संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। छात्र द्वारा चयन किये संस्थान/सीट/पाठ्यक्रम के विकल्प हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा, विश्वविद्यालय/काउन्सिलिंग बोर्ड का कोई भी उत्तरदायित्व नही होगा।

7. आरक्षण

1. तृतीय चरण काउन्सिलिंग मे पंजीकृत हुये अर्ह अभ्यर्थियों को राज्यकोटे की उपलब्ध सीटों में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की काउंसिलिंग की तिथि को प्रचलित/स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार अनुमन्य होगा।
2. किसी भी प्रकार के श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासी को ही अनुमन्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को संबंधित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी लाभ प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, काउॅन्सिलिंग एवं प्रवेश की तिथि को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का केवल अभ्यर्थी के पक्ष/नाम पर निर्गत प्रमाण ही मान्य होगा।
3. ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र काउंन्सिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैध (valid) होना चाहिए। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16–02 (ओ0बी0सी0)/2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही वैध (valid) होता है। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वें अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैधता (validity) को भली–भाति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. शासनादेश संख्या 570/कार्मिक–2/2004 दिनांक 22 मई, 2004 के क्रम में उपश्रेणी (**DPW**) हेतु आरक्षित सीटों का लाभ उत्तराखण्ड के निवासी केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को ही अनुमन्य होगा। वर्तमान में सेना (थल, वायु

एवं जल सेना) में कार्यरत सैनिको के आश्रितो को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा पैरामिलिट्री Paramilitary Forces के आश्रितो को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

5. आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2020-30(1)/2020 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 तथा विधायी एवं ससंदीय कार्यविभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2020/20(1)/2020 दिनांक 07 मार्च 2020 पर निर्धारित नियम/शर्तो/प्रतिबन्धो के आधार पर ही दिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
6. विकलांग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के सापेक्ष प्रवेश लेने हेतु इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित विशेष राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना होगा। उक्त विशेष राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड के स्थान एवं तिथि के संबंध में सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर पृथक से अपलोड की जायेगी। विकलाग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के संबंध में नीट यू0जी0 2024 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग हेतु प्रकाशित Information bulletin में निर्धारित नियम व शर्ते यथावत लागू रहेगी। संबंधित श्रेणी के आरक्षण का लाभ लेने के इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे Information bulletin का भली–भॉति अध्ययन कर लेवें।
7. किसी आरक्षित श्रेणी एवं उप श्रेणी का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में सीट रिक्त रहने/होने पर ऐसी सीटों को तृतीय चरण की काउंसिलिंग में नियमानुसार परिवर्तित (convert) कर भरा जायेगा।
8. काउंसिलिंग की प्रक्रिया के दौरान यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड एवं उसके साथ किसी अन्य राज्य का श्रेणी/उपश्रेणी प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो ऐसे अभ्यर्थी को सीट आवंटन शासनादेश संख्या 152215/XXVIII(5)/2024(E)14483 दिनांक 06 सितम्बर 2023 के अधीन किया जायेगा।

9. <u>प्रवेश प्रक्रिया</u>

1. तृतीय चरण में बोर्ड द्वारा आवंटित सीटों पर निर्धारित समायन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने संबंधी विस्तृत जानकारी तृतीय चरण की काउन्सिलिंग के सीट आवंटन सूची निर्गत होने के उपरांत विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर छात्रों हेतु पृथक से अपलोड की जायेगी।
2. **आवटित सीट पर प्रवेश सुरक्षित करने हेतु संबंधित छात्र को आंवटित संस्थान में व्यक्तिगत रुप में उपस्थित होकर अपने समस्त वांछित अभिलेख (मूल में) प्रस्तुत एवं जमा करने अनिवार्य होगें, अन्यथा की दशा में वे प्रवेश हेतु अर्ह नही होगें। एक बार प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थियों को प्रवेशित सीट को बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि तक छोडने की अनुमति होगी।**

10. विविध

1. स्ट्रे चरण की काउन्सिलिंग यदि कोई हो की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर पृथक से अपलोड की जायेगी, जिसके लिए पूर्णतया नवीन पंजीकरण कराये जायेंगे। स्ट्रे चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है तो मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार/एम0सी0सी0 के निर्देशों के क्रम में ऐसे अभ्यर्थी को नीट यू0जी0 प्रवेश परीक्षा से एक वर्ष हेतु प्रतिवारित कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. विस्तृत जानकारी हेतु नीट यू0जी0 2024 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग हेतु प्रकाशित **Information Bulletin** का पुनः अध्ययन कर लेवें।
3. काउन्सिलिंग समय–सारणी में परिर्वतन का अधिकार काउन्सिलिंग बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। भारत सरकार/एन0टी0ए0/एम0सी0सी0/एन0एम0सी0/डी0सी0आई0/मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार इस काउन्सिलिंग समय–सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

4. काउन्सिलिंग हेतु कोई भी सूचना/जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in पर ही अपलोड की जायेगी। अतः काउन्सिलिंग की अद्यतन सूचना/जानकारी प्राप्त करने हेतु समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

नोटिस प्रकाशन तिथिः– 09.10.2024

सदस्य सचिव
नीट यू0जी0 2024
उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग